भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3453
उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों का कल्याण और प्रोफाइलिंग

3453. श्री कुलदीप इंदौराः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों के बारे में कोई आंकड़े तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इनमें से अधिकांश कर्मी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के हैं;
(ग) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) सफाई के खतरनाक तरीकों के कारण इन कर्मियों की मृत्यु को रोकने और सफाई कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (नमस्ते) की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): पूरे भारत में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में प्रोफाइल किए गए सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों की वर्तमान संख्या 57,758 है।

सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का काम जाति आधारित न होकर व्यवसाय आधारित गतिविधि है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)" योजना के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों (एसएसडब्ल्यू) की श्रेणी-वार संरचना निम्नानुसार है:-

जाति/श्रेणी	एसएसडब्ल्यू की संख्या	प्रतिशतता
सामान्य	4,391	8.05
ओबीसी	8,587	15.73
एससी	37,060	67.91
एसटी	4,536	8.31
कुल योग	**54,574**	

(घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर सफाई कर्मियों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने तथा उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)" योजना तैयार की है, जिसे वर्ष 2023-24 में देश के सभी 4800 से अधिक यूएलबी में कार्यान्वयन के लिए लॉन्च किया गया है।

नमस्ते योजना की स्थिति निम्नानुसार है:-

- 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 57,758 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों (एसएसडब्लू) की प्रोफाइलिंग की गई हैं और इनमें से 54,574 का सत्यापन किया जा चुका है। ओडिशा और तमिलनाडु के उपलब्ध डाटा को केंद्रीय नमस्ते योजना डाटाबेस में एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों के लिए कुल 16,791 पीपीई किट और 43 सुरक्षा उपकरण किट की आपूर्ति की गई है।
- 13,604 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
- स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए 503 सफाई कर्मियों और उनके आश्रितों को 13.96 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है।
- नमस्ते योजना के अंतर्गत मैनुअल स्कैवेंजर श्रेणी से संबंधित 226 लाभार्थियों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक स्व-रोजगार परियोजनाएं आरंभ करने के लिए 2.85 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी जारी की गई है।
- वित्त वर्ष 2023-24 से नगर निगम/म्युनिसिपैलिटी/नगर पालिका तथा सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों को नियुक्त करने वाले अन्य ऐसे संगठनों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई की रोकथाम पर 837 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीवरों और सेप्टिक टैंकों के रखरखाव के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं, आपातकालीन प्रतिक्रिया

स्वच्छता इकाइयों (ईआरएसयू) की स्थापना और मशीनरी आवश्यकताओं पर समय-समय पर व्यापक परामर्शिका और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कीचड़ हटाने वाले वाहनों की खरीद के लिए 371 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अब तक कीचड़ हटाने वाले 2,585 वाहनों को मंजूरी दी गई है।

****